सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —03 / 2018—यूआईटी अपील (RCMS/2018/00128)
पंजीयन दिनांक —13.08.2018
निर्णय दिनांक —17.12.2018

1. श्री जीतमल पिता श्री मोहनलाल माली, निवासी नन्द भवन के पीछे, आयड़, उदयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. पटवारी / कनिष्ट अभियन्ता, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. श्री पी.सनाढ्य — वकील अपीलान्ट
2. श्री एन.एस.चुण्डावत — वकील रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 91—ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 105 / 2018 दिनांक 27.06.2018

निर्णय

दिनांक 17.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 91—ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 105 / 2018 दिनांक 27.06.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नगर विकास प्रन्यास के पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट ने राजस्व ग्राम आयड़ के खसरा नम्बर 1600, 1601 तक जाने वाली कृषि भूमि के भुखण्ड में पंहुच मार्ग पर 11 फीट पर अवरोध लगा कर बन्द कर दिया है एवं कृषि भूमि में बिना रूपान्तरकरण एवं बिना स्वीकृति के अवैध

मकान का निर्माण कर रखा है। जिससे प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उक्त अवैध निर्माण को 07 दिवस में स्वतः हटा लेने अन्यथा बाद मयाद गुजरने के हटाये जाने का निर्णय दिनांक 27.06.2018 पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट उपस्थित जिनकीबहस दिनांक 10.12.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट के अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट ने दिनांक 27.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय देने का निवेदन किया परन्तु प्रार्थना पत्र को रेकार्ड पर लेने से मना कर दिया और अपीलान्ट को बिना सुने, बिना जवाब व बिना दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देकर निर्णय दिनांक 27.06.2018 को पारित किया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलान्ट ने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है, अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर ही निर्माण किया है। प्रकरण में सवप्रर्थम अपीलान्ट को नोटिस दिनांक 18.06.2018 से सूचना पत्र जारी कर अपीलान्ट को दिनांक 27.06.2018 को उपस्थिति बाबत एवं अपना पक्ष रखने बाबत पेशी प्रदान की परन्तु तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर सूचना पत्र दिनांक 26.06.2018 से अपीलार्थी को कथित अवैध निर्माण हटाये जाने के आदेश दिनांक 26.06.2018 जारी होने से अवगत कराया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2018 को पारित करने में भारी कोताही बरती गई है, निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा दिनांक 26.06.2018 को ही हस्ताक्षर कर दिये गये है जो की आदेश लिखाये जाने से एक दिन पूर्व ही कर दिये गये है। इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06. 2018 में अनियमितता होने से उक्त निर्णय निरस्त योग्य है। उपरोक्त निर्णय में अनियमितता होने से व अपीलान्ट को समय पर निर्णय की प्रतिलिपि न दिये जाने से व्यथीथ होकर अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायाधीश (क.ख.) उत्तर, उदयपुर के न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस मानते हुए दिनांक 10.07.2018 को स्थगन आदेश जारी किया गया है। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि वकील अपीलान्ट द्वारा इंगित त्रुटियां सिर्फ टंकण त्रुटियां मात्र है, जिससे पारित निर्णय में अनियमितता प्रमाणित नहीं होती है। राजस्व ग्राम आयड़ के उक्त खसरा नम्बर 1600, 1601 नन्द भवन के पास सड़क निर्माण हेतु मैसर्स शोभावत कन्स्ट्रशन को कार्यादेश जारी किये गये। मौकें पर प्रार्थी द्वारा अवैध निर्माण कर रखा है। न्यास के प्लान अनुसार मौके पर 30 फीट जगह सड़क मार्गाधिकार में है। उक्त आराजी पर सड़क मार्गाधिकार पर अपीलान्ट द्वारा 11 फीट पर अवरोध लगाकर बन्द कर रखा है एवं कृषि भूमि पर बिना रूपान्तरकरण एवं बिना स्वीकृति के अवैध मकान का निर्माण कर रखा है। स्वीकृत प्लान के सड़क मार्गाधिकार को बहुत सकड़ा कर दिया है। उक्त सकड़े मार्गाधिकार में कॉलोनी का मूल स्वरूप भी बदलेगा एवं अनियोजित कॉलोनी का भी विकास होगा। जितनी भूमि का कृषि भुखण्ड अपीलार्थी द्वारा क्रय किया गया है, उस पर काबिज रहते भुखण्ड के सामने की 11 फीट चौडी कृषि भूमि जो कि भुखण्ड विक्रेता द्वारा अपीलान्ट एवं इसी आराजी के की भूमि क्रेताओं के आने जाने सहित उपयोग हेतु रास्ते के रूप में छोड़ी गई जिस पर अपीलान्ट द्वारा दीवार बनाकर इस आराजी के आगे भी सम्पूर्ण प्लान के निवासीयान को आने जाने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। अपीलार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश (क.ख.) उत्तर, उदयपुर प्रस्तुत वाद निर्णय दिनांक 11.10.2018 से निरस्त किया गया है। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त अपील माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.2018 से निरस्त की गई। अतः अपीलार्थी के कथन उक्त माननीय न्यायालयों द्वारा निरस्त किये जा चुके है। उक्त भूमि पर सड़क निर्माण हेतु मैसर्स शोभावत कन्स्ट्रशन को कार्यादेश जारी किये गये। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम के आराजी नम्बर 1600, 1601 तक जाने वाली कृषि भूमि के पंहुच मार्ग पर 11 फीट का अवरोध लगा कर बन्द कर दिया गया एवं अपीलान्ट द्वारा उक्त कृषि भूमि में बिना रूपान्तरकरण एवं बिना स्वीकृति के अवैध मकान का निर्माण कर रखा है। उक्त निर्माण न्यास अधिनियम की धारा 1959 की धारा–91–ए के तहत अवैध व विधि विरूद्ध होने से ध्वस्त योग्य है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–91–ए के तहत निर्णस पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अनुमोदित प्लान के मुकाबले सड़क मार्गाधिकार कम छोड़ते हुए कानून की

अवहेलना की है। अपीलार्थी द्वारा किए गए निर्माण की स्वीकृति एवं संपरिवर्तन के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। जो रास्ता अपीलार्थी द्वारा स्वयं का बताया गया है, के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जो रास्ते को अपीलार्थी का निजी बताते हों। अतः उक्त वादग्रस्त रास्ता आमजन व अन्य भू–भाग पर आने जाने के लिये निहित व कायम किया हुआ है। अपीलार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) उत्तर, उदयपुर प्रस्तुत वाद निर्णय दिनांक 11.10.2018 से निरस्त किया गया है। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त अपील माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.2018 से निरस्त की गई। अतः अपीलार्थी के कथन उक्त माननीय न्यायालयों द्वारा निरस्त किये जा चुके है। उक्त भूमि पर सड़क निर्माण हेतु मैसर्स शोभावत कन्स्ट्रशन को कार्यादेश जारी किये गये।

उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का निर्णय दिनांक 27.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर